

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

" प्रशासन गांवों के संग अभियान:- 2023 "

2023/1033

प्रतिवेदन पटवारी हल्का: 413

धीमानजी,

राजस्व ग्राम मऊ की जमावंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 417 में प्रार्थी का नाम शान्ती देवी पुत्र/पुत्री/पति बाबूलाल जाति अहीर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी का वास्तविक नाम शान्ति देवी पुत्र/पुत्री/पति बाबूलाल जाति अहीर है। नितके सार्व के रूप में प्रार्थी का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पहचान पत्र सत्य है। अतः धीमानजी, सलग दस्तावेजो एवम खातेदारों की गवाही के आधार पर उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम शान्ती देवी पति बाबूलाल के स्थान पर शान्ति देवी पति बाबूलाल जाति अहीर दर्ज कर दुरुस्त किया जाना उचित होगा।

हस्तासर पटवारी 16/06/23 P. मऊ

जांच प्रतिवेदन भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त: 413

धीमानजी,

राजस्व ग्राम मऊ की जमावंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 417 में प्रार्थी का नाम शान्ती देवी पुत्र/पुत्री/पति बाबूलाल जाति अहीर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। सलग दस्तावेज :- आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जांच प्रतिवेदन पटवारी हल्का मऊ एवम खातेदारों की गवाही के आधार पर उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम शान्ति देवी पुत्र/पुत्री/पति बाबूलाल जाति अहीर दर्ज कर दुरुस्त किया जाना उचित है।

LR-48 17/06/23

हस्तासर भू-अभिलेख निरीक्षक

जांच प्रतिवेदन तहसीलदार (भू- अभिलेख), श्रीमाधोपुर

धीमानजी,

राजस्व ग्राम मऊ की जमावंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 417 में प्रार्थी का नाम शान्ती देवी पुत्र/पुत्री/पति बाबूलाल जाति अहीर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। सलग दस्तावेज :- आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जांच प्रतिवेदन पटवारी हल्का मऊ जांच प्रतिवेदन भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त मऊ एवम खातेदारों की गवाही के आधार पर उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम शान्ति देवी पुत्र/पुत्री/पति बाबूलाल जाति अहीर दर्ज कर दुरुस्त किया जाना उचित है।

हस्तासर तहसीलदार श्रीमाधोपुर

आदेश (शिविर स्थान:- मऊ दिनांक:- 12.06.2023)

जांच प्रतिवेदन पटवारी हल्का:- मऊ, जांच प्रतिवेदन भू- अभिलेख निरीक्षक वृत्त:- मऊ, जांच प्रतिवेदन तहसीलदार (भू- अभिलेख), श्रीमाधोपुर तथा सलग दस्तावेज:- आधार-कार्ड, पहचान-पत्र, राशन-कार्ड के (राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा- 136 के अन्तर्गत) राजस्व ग्राम:- मऊ के खाता संख्या:- 417 में प्रार्थी का नाम शान्ती देवी पति बाबूलाल के स्थान पर शान्ति देवी पति बाबूलाल दर्ज कर दुरुस्त किया जाना उचित है। नाम सलग दस्तावेज से दर्ज हुआ है। सलग दस्तावेजों बिया जाता है।

शिविर प्रभारी अधिकारी उप-खण्ड अधिकारी (श्रीमाधोपुर)